निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 चैत्र 1943 (श0)

(सं0 पटना 246) पटना, वृहस्पतिवार 1 अप्रैल 2021

परिवहन विभाग

अधिसूचना प्रारूप
31 मार्च 2021

बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (संशोधन–1) नियमावली, 2021

सं० 06/इन्श्योरेन्स (वि0)–20/2018/**2428—**सिविल अपील वाद सं0–9936 एवं 9937/2016, उषा देवी एवं अन्य बनाम भारत सरकार में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन तथा मोटरवाहन अधिनियम, 1988 में अधिनियम संख्या–32/2019 के माध्यम से वाहन दुर्घटना उद्भूत मुआवजा वादो के त्वरित निष्पादन हेतु बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली, 1961 के अन्तर्गत दावा न्यायाधिकरणों एवं मुआवजा वाद निष्पादन संबंधी प्रावधानों में तत्काल संशोधन अनिवार्य प्रतीत होता है।

अतः मोटरवाहन अधिनियम, 1988, अधिनियम संख्या–32/2019 द्वारा यथा संशोधित, की धारा–164D , 165, 176 एवं 211 के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली, 1961 में निम्नांकित संशोधन प्रस्तावित करते हैं, जिसका प्रारूप, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–212 के अनुसार यथा अपेक्षित, इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ, उनकी आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रारूप प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों तक विभागीय वेबसाइट www.transport.bih.nic.in पर प्रकाशित रहेंगे।

इसके संबंध में समर्पित आपत्ति एवं सुझाव जो उक्त निर्धारित तिथि तक प्राप्त होंगे, उनपर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा एवं अधिसूचना जारी की जा सकेगी। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ होने की तिथि एवं विस्तारः–

   (क) यह बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (संशोधन–1) नियमावली, 2021 कही जा सकेगी।

   (ख) यह भारत सरकार द्वारा मोटरवाहन अधिनियम, 1988 के अध्याय XI एवं XII में किये गये संशोधन के कार्यान्वन की अधिसूचना की तिथि से लागू होगा।

   (ग) यह संपूर्ण बिहार राज्य के लिए प्रभावी होगा।

2. बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली, 1961 के वर्तमान नियम–27 के पश्चात् निम्नवत नियम–28 अंतःस्थापित किया जाता हैः–

<u>नियम–28ः</u>–

I मोटरवाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत, अधिनियम सं0–32/2019 के माध्यम से अध्याय XI एवं XII में अंतर्विष्ट प्रावधानों का कार्यान्वयन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किये जाने की तिथि से बिहार मोटर गाड़ी नियमावली, 1992 के अध्याय X में बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन–1) नियमावली, 2021 के प्रावधान लागू होंगे। तत्पश्चात् वाहन जनित दुर्घटनाओं से उद्भूत मुआवजा वाद राज्य सरकार द्वारा गठित राज्यस्तरीय दावा न्यायाधिकरण में दायर किया जा सकेगा। उन मुआवजा वादों का निष्पादन राज्य स्तरीय दावा न्यायाधिकरण द्वारा बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन–1) नियमावली, 2021 के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।

II इस संशोधन नियमावली के लागू होने के पूर्व विभिन्न दावा न्यायाधिकरणों में दायर वाद पूर्ववत् निष्पादित किए जाएँगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 246-571+10-डी0टी0पी0
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (संशोधन–1) नियमावली, 2021

सिविल अपील वाद सं0–9936 एवं 9937/2016, उषा देवी एवं अन्य बनाम भारत सरकार में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन तथा मोटरवाहन अधिनियम, 1988 में अधिनियम संख्या–32/2019 के माध्यम से वाहन दुर्घटना उद्भूत मुआवजा वादो के त्वरित निष्पादन हेतु बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली, 1961 के अन्तर्गत दावा न्यायाधिकरणों एवं मुआवजा वाद निष्पादन संबंधी प्रावधानों में तत्काल संशोधन अनिवार्य प्रतीत होता है।

अतः मोटरवाहन अधिनियम, 1988, अधिनियम संख्या–32/2019 द्वारा यथा संशोधित, की धारा–164D , 165, 176 एवं 211 के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली, 1961 में निम्नांकित संशोधन प्रस्तावित करते हैं, जिसका प्रारूप, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–212 के अनुसार यथा अपेक्षित, इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ, उनकी आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रारूप प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों तक विभागीय वेबसाइट www.transport.bih.nic.in पर प्रकाशित रहेंगे।

इसके संबंध में समर्पित आपत्ति एवं सुझाव जो उक्त निर्धारित तिथि तक प्राप्त होंगे, उनपर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा एवं अधिसूचना जारी की जा सकेगी। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

अधिसूचना प्रारूप

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ होने की तिथि एवं विस्तारः–**

   (क) यह बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (संशोधन–1) नियमावली, 2021 कही जा सकेगी।

   (ख) यह भारत सरकार द्वारा मोटरवाहन अधिनियम, 1988 के अध्याय XI एवं XII में किये गये संशोधन के कार्यान्वन की अधिसूचना की तिथि से लागू होगा।

   (ग) यह संपूर्ण बिहार राज्य के लिए प्रभावी होगा।

2. बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली, 1961 के वर्तमान नियम–27 के पश्चात् निम्नवत नियम–28 अंतःस्थापित किया जाता हैः–

नियम–28:–

I मोटरवाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत, अधिनियम सं0–32/2019 के माध्यम से अध्याय XI एवं XIIमें अंतर्विष्ट प्रावधानों का कार्यान्वयन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किये जाने की तिथि से बिहार मोटर गाड़ी नियमावली, 1992 के अध्याय X में बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन–1) नियमावली, 2021 के प्रावधान लागू होंगे। तत्पश्चात् वाहन जनित दुर्घटनाओं से उद्भूत मुआवजा वाद राज्य सरकार द्वारा गठित राज्यस्तरीय दावा न्यायाधिकरण में

दायर किया जा सकेगा। उन मुआवजा वादों का निष्पादन राज्य स्तरीय दावा न्यायाधिकरण द्वारा बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन-1) नियमावली, 2021 के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।

II इस संशोधन नियमावली के लागू होने के पूर्व विभिन्न दावा न्यायाधिकरणों में दायर वाद पूर्ववत् निष्पादित किए जाएँगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

Ljay

(संजय कुमार अग्रवाल)
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक :- 06/इन्श्योरेन्स (वि0)-20/2018-2428/पटना, दिनांक :- 31/3/2021

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई0गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

Ljay

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- 06/इन्श्योरेन्स (वि0)-20/2018-2428/पटना, दिनांक :- 31/3/2021

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/विधि परामर्शी-सह-सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Ljay

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- 06/इन्श्योरेन्स (वि0)-20/2018-2428/पटना, दिनांक :- 31/3/2021

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/कार्यपालक पदाधिकारी, लीड एजेंसी, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद, पटना/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/सभी प्रवर्त्तन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन निरीक्षक एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक, परिवहन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Ljay

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- 06/इन्श्योरेन्स (वि0)-20/2018-2428/पटना, दिनांक :- 31/3/2021

प्रतिलिपि :- आई0टी0मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

Ljay

सरकार के सचिव